Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in
क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– दिनांक–

To,

The Registrar (General),
National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi.

No. 412/G/OA No 108/2024 **Date- 16/07/2024**

Sub: Action Taken Report on behalf of the U.P. Pollution Control Board in the matter of Original Application No. 108 of 2023, Lokesh Kumar Khurana Vs. State of U.P. &Ors in compliance of order dated 24.05.2024 passed by the Hon'ble National Green Tribunal.

Sir,

In the above noted case Hon'ble Tribunal was pleased to pass the following main directions-

*"**.....** 6. We also find that though there is gross violation by the Municipal Corporation, Meerut in management and treatment of MSW but no punitive action by the UPPCB is on record. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now due action for imposition of Environmental Compensation will be taken. He is directed to file the action taken report within six weeks....."*

In compliance of the above said order, The Action Taken Report is being submitted with the approval of competent authority.

With regards.

Enclosure: As above

Yours faithfully

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer

Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in the matter of Original Application No. 108 of 2023, Lokesh Kumar Khurana Vs. State of U.P. in compliance of order dt. 24.05.2024 Passed By Hon'ble NGT.

Hon'ble NGT has passed an order dated 24.05.2024 in Original Application No. 108 of 2023, Lokesh Kumar Khurana Vs. State of U.P. The operative portion of the order is as under:-

"6. We also find that though there is gross violation by the Municipal Corporation, Meerut in management and treatment of MSW but no punitive action by the UPPCB is on record. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now due action for imposition of Environmental Compensation will be taken. He is directed to file the action taken report within six weeks……".

In compliance of the Hon'ble NGT above said order dated-24.05.2024 the Action Taken Report on behalf of U.P. Pollution Control Board is as follows;

1- That earlier in compliance of order dated 13-07-2017 passed by the Hon'ble NGT in OA no. 200/2014, M.C. Mehta V/s UOI, the Oversight Committee constituted by the Hon'ble NGT had visited the Meerut Nagar Nigam on 15/05/2019 and found that there was no facility for management of Solid Waste till then and the Committee has recommended for action against Nagar Nigam Meerut and imposition of EC for the default.

2- In continuation of Oversight Committee recommendation U.P. Pollution Control Board has issued Show Cause notice to the Nagar Nigam Meerut vide letter no. H36823/C-3/Water-503/Meerut/2019 Dated 03-06-2019. Copy of the same is annexed herewith as **Annexure No. I**

3- That after giving sufficient time to Nagar Nigam Meerut for reply of Show Cause Board has imposed the Environmental Compensation of Rs. 24,28,125/- for the 259 defaulter days (between 04-09-2018 to 20-05-2019) against the Nagar Nigam Meerut vide letter No. H38468/C-3/Water-503/Meerut/2019 Dated 08-07-2019 as no reply was received from Nagar Nigam Meerut till then. Copy of the same is annexed herewith as **Annexure No. II**

4- That U.P. Pollution Control Board has also issued letter to District Magistrate for recovery of the EC amount as land revenue vide letter No. H56130/C-3/Water-503/2020 Dated 15-12-2020. Copy of the same is annexed herewith as **Annexure No. III**

5- That in view of order dt. 24.05.2024 in OA no 108/2023, Lokesh Kumar Khurana Vs State of U.P., passed by the Hon'ble NGT, UPPCB has issued Show Cause Notice for imposition of Environmental Compensation of Rs 5 crore under section-5 of the E.P.Act,1986 vide letter dated 03.07.2024 for the period of 01.04.2020 to 01.05.2024 (Total 50 months) at the rate of Rs. 10lac per month basis as per order of Hon'ble NGT in OA No. 606/2018. The copy of Show Cause Notice is attached as Annexure-**IV.**

The above Action Taken Report is being submitted for perusal and kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer
UPPCB,Meerut

Annexure No-I

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या 1/3623 / सी–3 / जल–503 / मेरठ / 2019 दिनांक 3-6-19

सेवा मे, पंजीकृत

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

विषय – पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 स0–200 / 2014 एम0सी0 मेहता बनाम् यूनियन आफ इंडिया मे पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुश्रवण हेतु मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनॉक 06.08.2018 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन की अध्यक्षता मे दिनॉक 15.05.2019 को मेरठ भ्रमण के समय संज्ञान में आया कि नगर निगम मेरठ द्वारा सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु अभी तक कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है तथा सॉलिड वेस्ट का निस्तारण नालो के किनारे लो–लाइग एरिया मे किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण नगर निगम मेरठ के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में जलालुद्दीन मसूदपुर गूजर, ग्रम–गावडी, जनपद–मेरठ के निकट स्थित नगर निगम, मेरठ द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण भी अनुश्रवण समिति द्वारा दिनांक–20.05.2019 को किया गया। आख्यानुसार नगर निगम मेरठ द्वारा संचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानो के अनुसार ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

नगर निगम मेरठ द्वारा संचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के संबंध में पूर्व में ग्रमवासियों द्वारा प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य में दिनॉक 04.09.2018 को निरीक्षण किया गया था, जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट अवैज्ञानिक तरीके से तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानों का उल्लंघन करते हुए डम्प किया जाता पाया गया। वर्तमान मे जनपद मेरठ शहर में नगरीय ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर कलेक्शन न होने एवं ट्रान्सपोर्टेशन खुले वाहनों मे करने एवं अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण स्थल पर डम्प किये जाने संबंधी जन शिकायते मेरठ सिटीजन फोरम से भी प्राप्त हो रही हैं तथा वर्तमान निरीक्षण के समय भी स्थिति यथावत् पायी गयी तथा सॉलिड वेस्ट का निस्तारण काली नदी से सटे हुए क्षेत्र में डम्प किया जाता पाया गया। डम्पिंग से जनित होने वाले लिचेट के कारण भूगर्भीय जल एवं काली नदी के जल के प्रदूषित होने की संभावना से नकारा नही जा सकता।

नगर निगम मेरठ को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनॉक 16.08.2018 एवं क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनॉक 06.09.2018 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शोधन एवं निपटान हेतु नोटिस प्रेषित किये गये, जिसका उत्तर नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रेषित नहीं किया गया। नगर निगम मेरठ द्वारा ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति दिनॉक 10.07.2010 को प्राप्त की गयी है परन्तु उक्त की स्थापना हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार भी प्राप्त नही किया गया है।

अत आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है कि क्यो न उपरोक्त वर्णित तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0–200 / 2014 एम0सी0मेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुक्रम में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सी0पी0सी0बी0 द्वारा तैयार की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार प्रथम निरीक्षण दिनॉक 04.09.2018 से

..............2/–

दिनॉक 20.05.2019 के मध्य अर्थात् कुल 259 दिन का ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम, 2016 का उल्लंघन मानते हुए नगर निगम, मेरठ के विरूद्ध रू0–9,375/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 24,28,125/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अर्थदण्ड नगर निगम मेरठ पर अधिरोपित कर दिया जाये?

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध मे अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर तथ्यात्मक साक्ष्यों सहित प्रेषित करें।

भवदीय,

(एन0के0 चौहान)
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ मडल मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

O/C मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3)

Annexure No-II

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

सदर्भ सख्या H 36146 /सी-3/जल-503/मेरठ/2019 दिनाक 2-7-19

सेवा मे, पंजीकृत

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ।

विषय– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें। माo एनoजीoटीo, नई दिल्ली द्वारा ओoएo सo–200/2014 एमoसीo मेहता बनाम यूनियन आफ इंडिया मे पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुश्रवण हेतु माo एनoजीoटीo के आदेश दिनॉक 06.08.2018 द्वारा गठित अनुश्रवण समिति द्वारा माo न्यायमूर्ति श्री अरूण टण्डन की अध्यक्षता मे दिनॉक 15.05.2019 को मेरठ भ्रमण के समय सज्ञान मे आया कि नगर निगम मेरठ द्वारा सॉलिड वेस्ट के निस्तारण हेतु अभी तक कोई व्यवस्था स्थापित नही की गयी है तथा सॉलिड वेस्ट का निस्तारण नालो के किनारे लो–लाइग एरिया मे किया जा रहा है। भ्रमण के दौरान अनुश्रवण समिति के अध्यक्ष द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था न होने के कारण नगर निगम मेरठ के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम मे जलालुद्दीन मसूदपुर गूजर, ग्राम–गावडी, जनपद–मेरठ के निकट स्थित नगर निगम, मेरठ द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल का निरीक्षण भी अनुश्रवण समिति द्वारा दिनाक–20.05.2019 को किया गया। आख्यानुसार नगर निगम मेरठ द्वारा सचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण स्थल ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानो के अनुसार ठोस अपशिष्ट के शोधन एव निपटान हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं की गयी है।

नगर निगम मेरठ द्वारा संचालित नगरीय ठोस अपशिष्ट निस्तारण के संबध में पूर्व में ग्रामवासियों द्वारा प्राप्त शिकायत के परिप्रेक्ष्य मे दिनॉक 04.09.2018 को निरीक्षण किया गया था, जिसमें नगरीय ठोस अपशिष्ट अवैज्ञानिक तरीके से तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के प्राविधानो का उल्लघन करते हुए डम्प किया जाता पाया गया। वर्तमान मे जनपद मेरठ शहर मे नगरीय ठोस अपशिष्ट के डोर टू डोर कलेक्शन न होने एव ट्रान्सपोर्टेशन खुले वाहनो मे करने एव अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण स्थल पर डम्प किये जाने सबंधी जन शिकायते मेरठ सिटीजन फोरम से भी प्राप्त हो रही है तथा वर्तमान निरीक्षण के समय भी स्थिति यथावत् पायी गयी तथा सॉलिड वेस्ट का निस्तारण काली नदी से सटे हुए क्षेत्र मे डम्प किया जाता पाया गया। डम्पिंग से जनित होने वाले लिचेट के कारण भूगर्भीय जल एव काली नदी के जल के प्रदूषित होने की सभावना से नकारा नही जा सकता।

नगर निगम मेरठ को बोर्ड मुख्यालय के पत्र दिनॉक 16.08.2018 एव क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनॉक 06.09.2018 द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट के शोधन एव निपटान हेतु नोटिस प्रेषित किये गये, जिसका उत्तर नगर निगम, मेरठ द्वारा प्रेषित नही किया गया। नगर निगम मेरठ द्वारा ठोस अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था की स्थापना हेतु राज्य बोर्ड से पर्यावरणीय स्वीकृति दिनॉक 10.07.2010 को प्राप्त की गयी है परन्तु उक्त की स्थापना हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नही की गयी है तथा ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम, 2016 के अन्तर्गत प्राधिकार भी प्राप्त नहीं किया गया है।

नगर निगम मेरठ को बोर्ड के पत्र सख्या एच 36823/सी–3/जल–503/मेरठ/2019, दिनॉक 03.06.2019 द्वारा उपरोक्त के सबध मे पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका उत्तर नगर निगम मेरठ द्वारा नही दिया गया।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो को दृष्टिगत रखते हुये माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओoएo सo–200/2014 एमoसीoमेहता बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य मे पारित आदेश दिनॉक 13.07.2017 के अनुक्रम मे सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त सीoपीoसीoबीo द्वारा तैयार की गयी मैथाडोलॉजी के अनुसार

.........2/–

टीoसीo–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226010

TC-12V, Vibhuti Khand,
Gomti Nagar, Lucknow-226010

प्रथम निरीक्षण दिनॉक 04.09.2018 से दिनॉक 20.05.2019 के मध्य अर्थात् कुल 259 दिन का ठोस अपशिष्ट प्रबधन नियम, 2016 का उल्लंघन मानते हुए नगर निगम, मेरठ के विरूद्ध रू0–9,375/– प्रतिदिन की दर से कुल रू0 24,28,125/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अर्थदण्ड नगर निगम मेरठ पर अधिरोपित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104 आई0एफ0एस0सी0 कोड–UBIN0570150 में 15 दिन के अन्दर जमा करें।

उपरोक्त अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति निर्धारित समयावधि में जमा करने का साक्ष्य इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रस्तुत करे।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि–

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलायुक्त, मेरठ मंडल मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिलाधिकारी, मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सदस्य सचिव

Annexure No-III
15/12/20

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H-26138 /सी–3/ जल /502/2020 दिनांक: 15/12/2020

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जनपद–मेरठ।

विषय: मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ.ए. नं.–77/2019 नवीन कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के संबंध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–एच 38468/सी–3/जल–503/मेरठ/2019, दिनांक –08.07.2019 (छायाप्रति संलग्न) एवं मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. नं.–77/2019 नवीन कुमार व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य के संबंध मे पारित आदेश दिनांक–04.12.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न), जिसके सुसंगत अंश निम्नवत् हैं:–

".......We direct the Municipal Commissioner, Meerut to ensure further action. **The State PCB may recover the Environmental Compensation.** The RDF generated in the legacy waste be sent to the waste to energy plant. Small plants be setup in other parts of the states, which action may be planned and overseen by the Principal Secretary, Urban Development. Health survey may be conducted as already directed......"

कृपया मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में प्रभावी कार्यवाही ससमय कराने का कष्ट करें।

उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भित पत्र दिनांक–08.07.2019 के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 का उल्लघन मानते हुए नगर निगम, मेरठ के विरुद्ध कुल रुपये –24,28,125/– मात्र की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप मे अर्थदण्ड अधिरोपित करते हुए 15 दिनों के अन्दर संबधित खाते में जमा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। अधिरोपित अर्थदण्ड की धनराशि वर्तमान तक नगर निगम, मेरठ के द्वारा उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसूचित खाते मे जमा नही की गयी है। मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि की वसूली हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुक्रम में अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रुपये–24,28,125/– की वसूली भूराजस्व की भांति कराते हुए धनराशि को उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक आफ इण्डिया, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित बैंक के खाता संख्या–701502010002104, आई.एफ.एस.सी.–UBIN0570150 में अतिशीघ्र जमा करवाने का कष्ट करे, जिससे की मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

भवदीय

संलग्नक: यथोपरि।

(आशीष तिवारी)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि

1. एन.जी.टी. ओवरसाइट कमेटी, पर्यावरण निदेशालय, विनीतखण्ड–1, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियत्रण बोर्ड, मेरठ को मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में पारित आदेश दिनांक–04.12.2020 की प्रति सहित इस निर्देश के साथ कि जिलाधिकारी, मेरठ से सम्पर्क कर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु अधिरोपित अर्थदण्ड की वसूली कराया जाना एवं एन.जी.टी. द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थल का अद्यतन निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करे।

सदस्य सचिव

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष 0522-2720828, 2720831
ई-मेल info@uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या H13449 /सी 3/ठोस / 802 /मेरठ/2024 दिनांक03/07/2024

सेवा मे,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, मेरठ। (8395881802)

पंजीकृत

विषय:– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 एन0जी0टी0 में योजित ओ.ए. सं0 108/2023 Lokesh Kumar Khurana Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के सुसंगत अंश निम्नवत है:–

"6. We also find that though there is gross violation by the Municipal Corporation, Meerut in management and treatment of MSW but no punitive action by the UPPCB is on record. Learned Counsel appearing for UPPCB has submitted that now due action for imposition of Environmental Compensation will be taken. He is directed to file the action taken report within six weeks….."

उल्लेखनीय है कि बोर्ड के पत्रांक एच–50633/सी–7/ओए 606/18/20 दिनांक 07.07.2022 द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के नियम 22 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु ठोस प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना एवं पुराने तथा परित्यक्त कूड़ा स्थलो के जैविक उपचार या कैपिंग किये जाने संबंधी समयसीमा निर्धारित करते हुये, इन नियमो के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक अवसंरचना यथास्थिति, स्थानीय निकायो और अन्य संबंधित प्राधिकरणो द्वारा प्रत्यक्ष तथा स्वंय या नियोजित अभिकरणो द्वारा विनिर्दिष्ट समयसीमा में किया जाना प्राविधानित होने के दृष्टिगत निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय को दोषी नगर निकायो पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपिण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। अग्रेतर मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ.ए. सख्या 606/2018 Compliance of Municipal solid waste Management Rules, 2016 मे पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 में लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारंभ नही किये जाने की स्थिति मे नगर निकायो पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है जिसके अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत बोर्ड के पत्रांक एच 64633/सी–7/ओ.ए. संख्या 606/18/21 दिनांक 16.08.2021 द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय अधिकारी, मेरठ द्वारा नगर निगम, मेरठ के विरूद्ध ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10/– लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल 5.0/– करोड रूपये (रूपये पाच करोड़) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

उपरोक्त के दृष्टिगत मा0 एन0जी0टी0 मे योजित ओ.ए. स0 108/2023 Lokesh Kumar Khurana Vs State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 24.05.2024 के अनुपालन में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने नगर निगम मेरठ के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत संक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यो न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्राविधानो के अन्तर्गत लिगेसी वेस्ट के रेमेडियेशन तथा सुरक्षित निस्तारण हेतु कार्यवाही प्रारम्भ न किये जाने के दृष्टिगत नगर निगम मेरठ के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 01.05.2024 तक कुल 50 माह हेतु 10/– लाख हेतु प्रति माह की दर से कुल 5.0/– करोड रूपये (रूपये पाच करोड) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये।

उपरोक्त तथ्यो के परिप्रेक्ष्य में कारण बताओ नोटिस के संबंध मे पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें। इकाई द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर इकाई के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वंय का होगा।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–3

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, मेरठ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वेस्ट मैनेजमेन्ट डिविजन उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उवप्रव प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेशो के अनुपालन के संबंध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन में आवश्यक रुप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh yadav

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–3

o/c